

अधिकारियों की अनुपस्थिति में कार्य संपादन

दिनांक 03.09.2014

क्रमांक 2 के अधिकारियों की अनुपस्थिति में उनका आवश्यक कार्य अन्य आदेश होने तक निम्नानुसार क्रमांक 3 एवं 4 के अधिकारीगण सम्पादित करेंगे ।

क्र.	अधिकारी जिनकी अनुपस्थिति पर कार्य संपादित किया जाना	अधिकारी जो कार्य संपादित करेंगे	क्र. 3 की अनुपस्थिति में अधि.कार्य संपादित करेंगे
1.	2.	3.	4.
1.	प्रमुख सचिव, विधि	श्री आर०के०वाणी, अतिरिक्त सचिव	अतिरिक्त सचिव श्री अमिताभ मिश्र.
2.	श्री आर०के० वाणी, अतिरिक्त सचिव	श्री अमिताभ मिश्र, अतिरिक्त सचिव	श्री राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव
3.	श्री अमिताभ मिश्र, अतिरिक्त सचिव	श्री राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव	श्री आर०के० वाणी, अतिरिक्त सचिव
4.	श्री राजेश यादव, अपर सचिव	श्री आर०के०वाणी, अपर सचिव	श्री परितोष तिवारी, उप सचिव
5.	श्री ए.पी. खेर, उप सचिव	श्री परितोष कुमार तिवारी, उप सचिव	श्रीमती सुशीला परते, अवर सचिव
6.	श्री परितोष तिवारी, उप सचिव	श्री प्रीतेश्वरी तिवारी, अवर सचिव	श्री राजेश यादव, अपर सचिव
7.	श्रीमती सुशीला परते, अवर सचिव	श्रीमती रजनी पंचौली, अवर सचिव	सुश्री क्षमा तिवारी, उप सचिव
8.	सुश्री क्षमा तिवारी, उप सचिव	श्रीमती सुशीला परते, अवर सचिव	श्री प्रीतेश्वरी तिवारी, अवर सचिव
9.	श्रीमती क्षिप्रा देशमुख, अवर सचिव	श्रीमती रजनी पंचौली, अवर सचिव	कु. क्षमा तिवारी, उप सचिव
10.	कु. प्रीतेश्वरी तिवारी, अवर सचिव	श्रीमती क्षिप्रा देशमुख, अवर सचिव	श्री सी०एल०मुकाती, अवर सचिव.
11.	श्रीमती रजनी पंचौली, अवर सचिव	सुश्री क्षमा तिवारी, उप सचिव	श्री आर०पी०गुप्ता, अवर सचिव.
12.	श्री सी०एल०मुकाती, अवर सचिव	श्रीमती सुशीला परते, अवर सचिव	श्रीमती रजनी पंचौली, अवर सचिव
13.	श्री आर०पी०गुप्ता, अवर सचिव	सुश्री प्रीतेश्वरी तिवारी, अवर सचिव	श्री सी०एल०मुकाती, अवर सचिव.


14. सुश्री उमा तिवारी,
लेखा अधिकारी

श्री सी०एल०मुकाती
अवर सचिव

श्री ए.पी. खेर,
उप सचिव

नोट :-

1. कालम 3 एवं 4 के अधिकारीगण भी अनुपस्थित हो तो कालम 4 में वर्णित अधिकारी का आवश्यक कार्य देखने के लिए जो अधिकारी अधिकृत हैं वे कालम 2 में वर्णित उस अधिकारी का कार्य देखेंगे।
2. यदि किसी दिन वरिष्ठ अतिरिक्त सचिव उपस्थित न हो तो संबंधित आवश्यक कार्य का, निष्पादन उपलब्ध अतिरिक्त सचिव द्वारा किया जायेगा।
3. यदि किसी दिन समस्त अतिरिक्त सचिवगण की अनुपस्थिति में उनका आवश्यक कार्य उपलब्ध वरिष्ठ उप सचिव द्वारा किया जावेगा।
4. समस्त अवर सचिव की अनुपस्थिति में उनसे संबंधित कार्य उपलब्ध कनिष्ठतम उप सचिव द्वारा संपादित किया जावेगा।


(सी०वी०सिरपुरकर)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.